

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

21 JUN 2018

का0आ0स0

375971

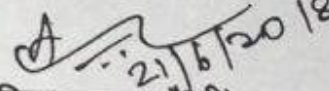
शा0वि0- 15 स्वच्छता- 18/2016

दिनांक 21/6/2018

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन हेतु जापांक 68/सी0 दिनांक 05.08.2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस दिशा-निर्देश की कंडिका 9 में प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने की शर्त को जापांक-362426 दिनांक- 27.03.2018 द्वारा संशोधित करते हुए 75 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किये जाने के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश संसूचित है।

2. समीक्षोपरांत प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु अच्छादन की शर्त को संशोधित करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड में 50 (पचास) प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किये जाने के उपरांत नियमानुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

3. विभागीय पत्रांक 68/सी0 दिनांक 05.08.2016 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

जापांक 375971

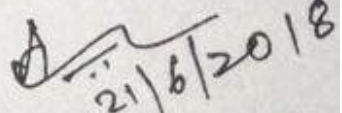
पटना, दिनांक 21/6/2018

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक, डी.आर.डी.ए.-सह-सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव